Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER









कक्षा - 11

व्यवसाय अध्ययन

व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार - 2

अध्याय - 7 : कंपनी निर्माण

भाग - 7

एक व्यक्ति कंपनी

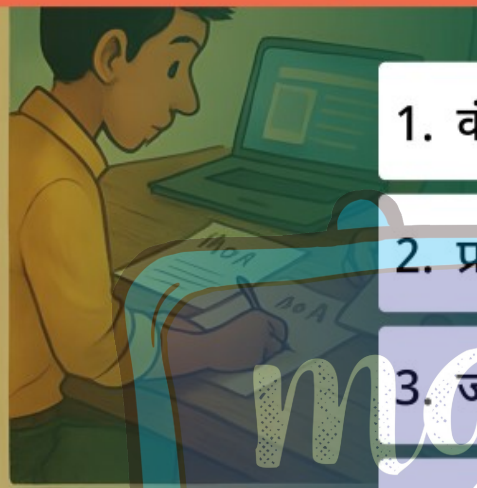
रूचिका सैनी

Under CSR Support by ipca | Foundation

विवरण (Overview)

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER





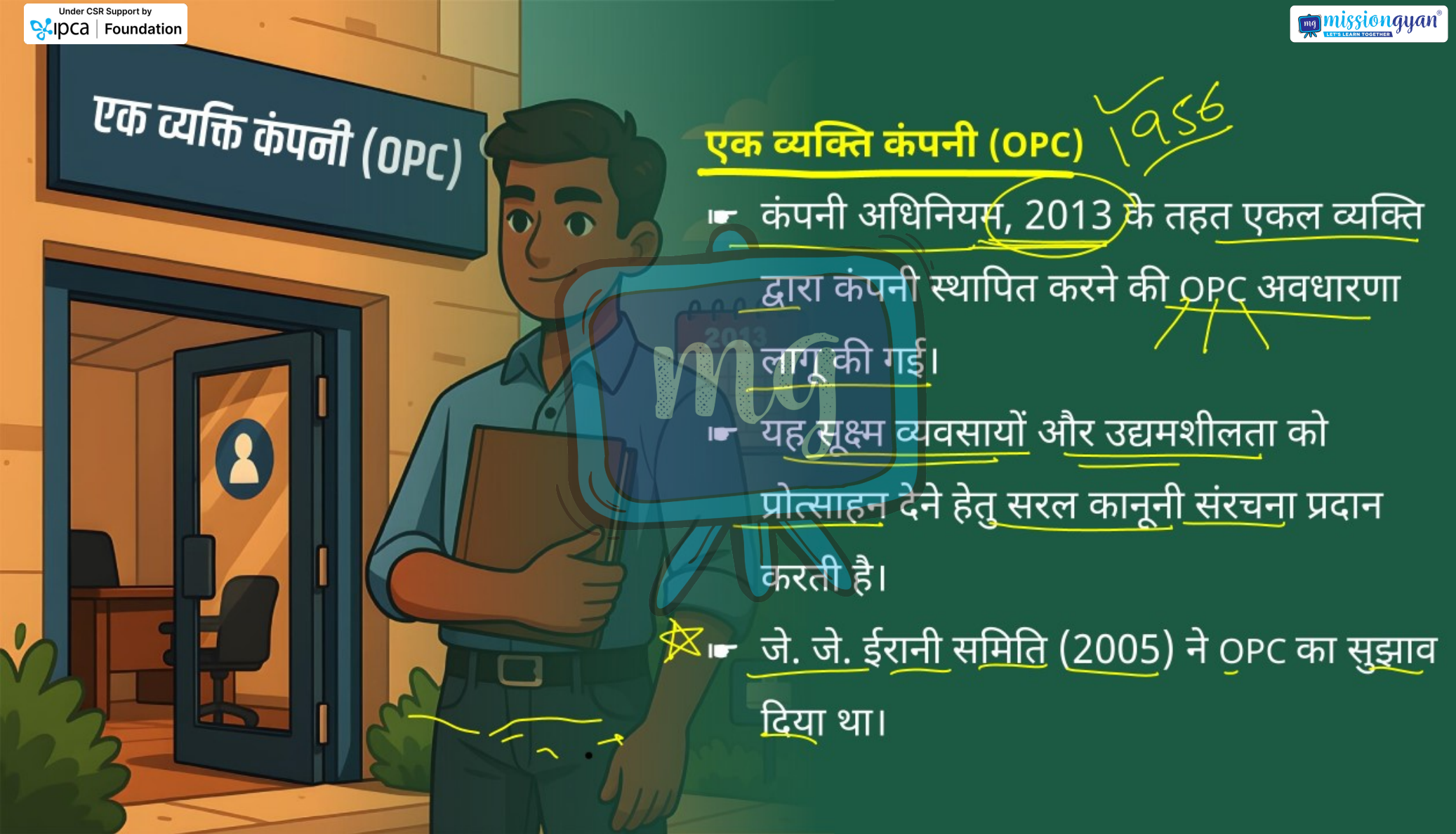




1. कंपनी की संरचना
2. प्रवर्तकों के कार्य एवं स्थिति
3. जमा किए जाने वाले प्रलेख
4. समामेलन
5. समामेलन का प्रभाव
6. पूँजी अभिदान
7. एक व्यक्ति कंपनी

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



एक व्यक्ति कंपनी (OPC)

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एकल व्यक्ति द्वारा कंपनी स्थापित करने की OPC अवधारणा लागू की गई।
- यह सूक्ष्म व्यवसायों और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने हेतु सरल कानूनी संरचना प्रदान करती है।
- जे. जे. ईरानी समिति (2005) ने OPC का सुझाव दिया था।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

OPC

मुख्य विशेषताएँ

- एक सदस्यीय कंपनी, जिसमें केवल एक व्यक्ति अंशधारी होता है।
- निजी सीमित कंपनी जैसे लाभ मिलते हैं:

1. पृथक वैधानिक इकाई
2. शाश्वत उत्तराधिकार
3. निजी संपत्ति सुरक्षित

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

धारा 2(62) के अनुसार

OPC वह कंपनी है जिसका सदस्य केवल एक व्यक्ति हो।



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



कंपनी (समामेलन) नियम, 2014 का नियम 3

1. केवल एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक (जो पिछली वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो) OPC के लिए पात्र है।
2. कोई व्यक्ति एक से अधिक OPC का सदस्य या नामांकित नहीं हो सकता।
3. यदि कोई व्यक्ति गलती से दो OPC में सदस्य/नामांकित बन जाता है, तो उसे 180 दिनों में योग्यता नियमों का पालन करना होगा।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



18 वर्ष से कम

4. अवयस्क व्यक्ति OPC का सदस्य या नामांकित नहीं बन सकता।

5. OPC को:

- धारा 8 कंपनी (गैर-लाभकारी) के रूप में समामेलित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
- निगमित निकायों की प्रतिभूतियों में निवेश जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय क्रियाएँ करने की अनुमति नहीं।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

2 yr से पहले

6. OPC को समामेलन के दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व, अन्य प्रकार में स्वैच्छिक रूप से रूपांतरित नहीं किया जा सकता, जब तक:

- प्रदत्त अंश पूँजी ₹50 लाख से अधिक न हो जाए, या
- औसत वार्षिक टर्नओवर ₹2 करोड़ से अधिक न हो।



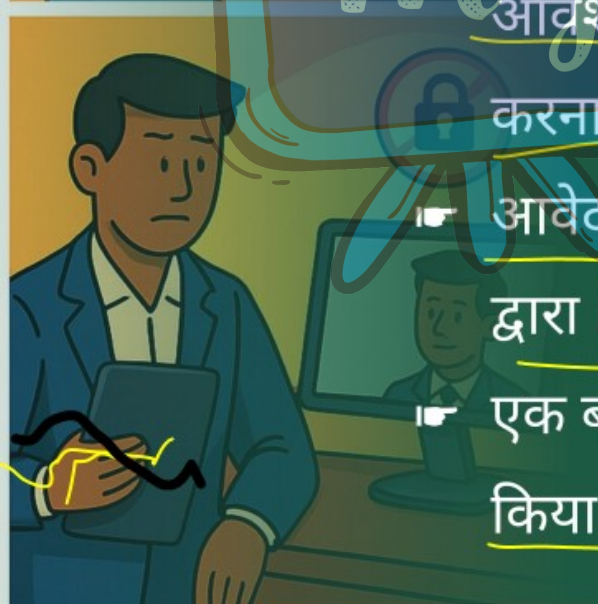
Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER









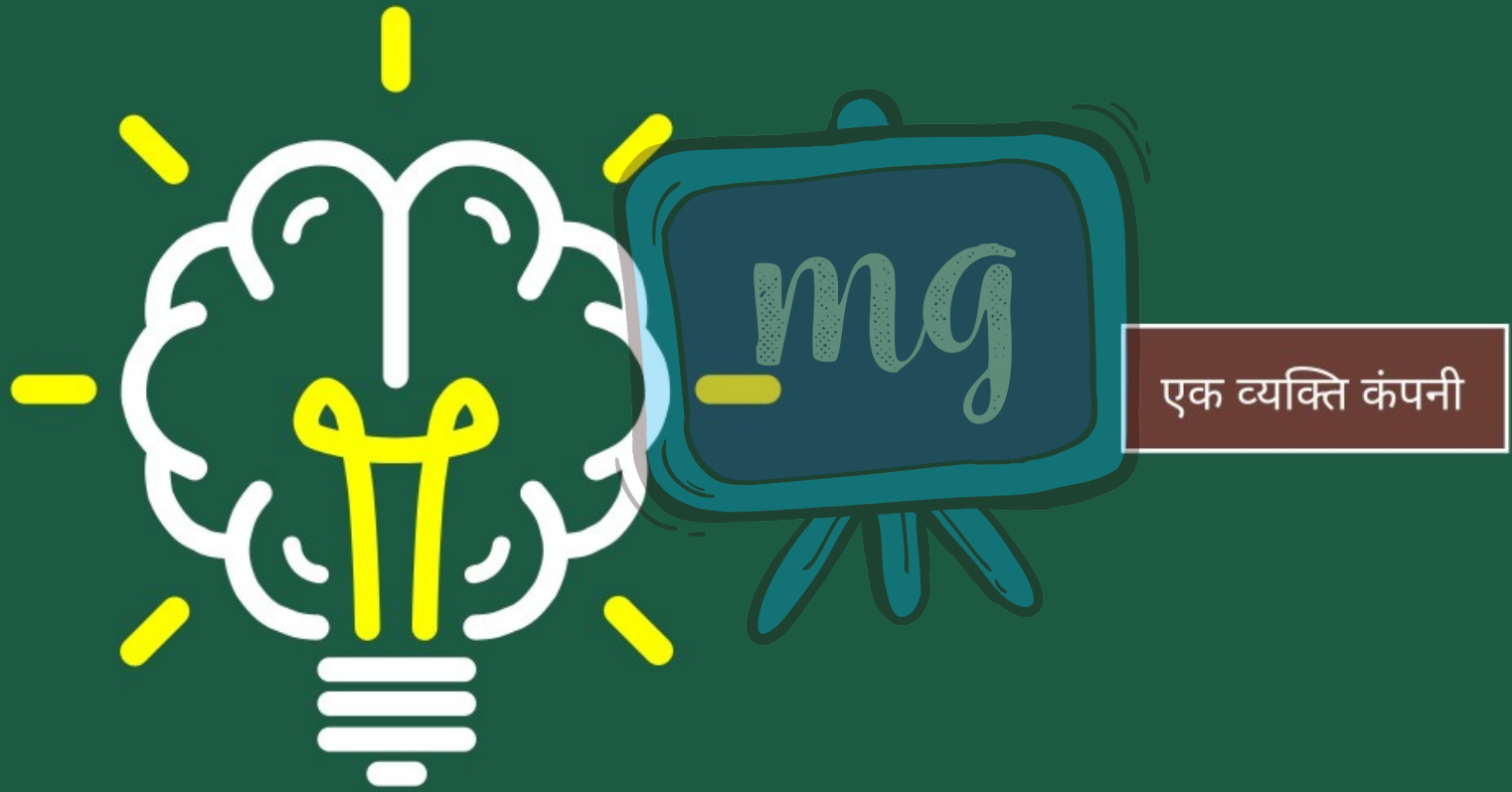
निदेशक पहचान संख्या (DIN)

- कंपनी में निदेशक बनने के लिए निदेशक पहचान संख्या (DIN) आवश्यक है।
- इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर आवश्यक शुल्क सहित केंद्रीय सरकार को जमा करना होता है।
- आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर सरकार द्वारा DIN आवंटित किया जाता है।
- एक बार DIN प्राप्त होने के बाद, पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcome)

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

मूल्यांकन (Assessment)

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



1 OPC का सुझाव किसने दिया–

अ जे.के. ईरानी

ब जे.जे. ईरानी J.J. (2005)

स जे.एस.ईरानी

द उपर्युक्त में से कोई नहीं

Under CSR Support by ipca | Foundation

मूल्यांकन (Assessment)

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



2 ऐसी कंपनी जिसमें एक व्यक्ति अंशधारी होता है।

- अ दो व्यक्ति कंपनी
- ब संयुक्त पूँजी कंपनी
- स एक व्यक्ति कंपनी (स)
- द उपर्युक्त में से कोई नहीं

Under CSR Support by ipca | Foundation

मूल्यांकन (Assessment)

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



3 अवस्यक व्यक्ति OPC का सदस्य बन सकता है।

